REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 3.8014(UIF)
VOLUME - 6 | ISSUE - 6 | MARCH - 2017

लघुवित्त की अवधारणा:एक अध्ययन

वसंत कुमार मंडल
बी. कॉम., एम. कॉम.
शोध छात्र (वाणिज्य), ल. ना. मि. वि. वि., दरभंगा
मु.–उर्दू बाजार, पो.–लालबाग, थाना–लहेरियासराय,
जिला–दरभंगा.

सार

सामाजिक सुरक्षा की सुविधा एक मौलिक मानवाधिकार है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद ; संघ) के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, परंतु प्रमुख चिंता गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटने वाला संतुलित विकास है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 40 प्रतिशत से अधिक भारतीयों के तो बैंक खाते भी नहीं हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 59वें और 2003)[1] के अनुमानों से इन निराशाजनक तथ्यों का पता चलता है कि कृषक परिवारों के कुल 27 प्रतिशत को ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त होता है और लगभग 22 प्रतिशत को अनौपचारिक स्रोतों से शेष 51 प्रतिशत को, जिनमें से अधिकांश सीमांत कृषक हैं, के पास ऋण प्राप्त करने का कोई जरिया नहीं है। इसी संदर्भ में, लघु वित्तीय संस्थाओं ; एमएफआईज) ने

सरकार, गैरसरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों आदि के साथ मिलकर हटाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार, महिलाओं का सशक्तीकरण और उनके मानवीय विकास में जो भूमिका अदा की है, उसको भलीभांति समझने की आवश्यकता है। लघुवित्त एक ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो आमतौर पर निम्न आय वाले लोगों, विशेषकर बेरोजगार, निर्धन और अतिनिर्धन लोगों को जिनके पास कहने को भी कुछ नहीं होता, वित्तीय सेवा प्रदान करती है।

भूमिका

बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक सहित 17 देशों में 41 लघुवित्त कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वतंत्र अध्ययनों से गरीबी कम करने में इन लघुवित्त संस्थाओं के योगदान का पता चलता है। भारत में लघुवित्त कार्यक्रम 1993 से चल रहे हैं। हालांकि बेरोजगारी एवं गरीबी हटाने के ठोस प्रमाणों पर विवाद है। जहाँ तक 'सेवा' का प्रश्न है, इस तरह के कार्यक्रमों के भागीदारों द्वारा अधिक आमदनी कमाने के समाचार मिलते रहे हैं। महिलाओं में यह विशेष रूप से देखा गया है। मानवीय विकास के पहलुओं पर जागरूकता फैलाने का काम करना होगा। वर्तमान लघुवित्त कार्यक्रमों का स्वतंत्र शोधकर्ताओं से मूल्यांकन कराने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गांव से लेकर जिला स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना होगा।

जिस तरह से आदिवासियों के लिये नीतियाँ बनाकर वित्त के प्रबंध किए गए हैं, ठीक उसी तरह गरीबों और बेहद गरीबों तक लघुवित्त की सुविधा पहुँचाने के लिये भी सरकार को नया दृष्टिकोण अपनाना होगा, नया प्रयास करना होगा। वित्तमंत्री ने यह सुझाव दिया है कि उद्योगों को लघुवित्त पालिसियां बैंकों के माध्यम से वितरित करनी चाहिए, क्योंकि बैंकों का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में

हैं, यह सुझाव स्वागतयोग्य है। भारत के निर्धनों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुलभ होनी ही चाहिए।

आजादी के बाद देश के सामने जो चुनौतियाँ थी उनमें सबसे बड़ी चुनौती थी ग्रामीणों के आधारभूत जीवन में सुधार के लिए उनहें पूंजी उपलब्ध कराना। ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ा हुआ है। यानी जब तक खेती करने वाले किसान समृद्ध नहीं होंगे तक तब देश की पूर्ण समृद्धि की कल्पना अधूरी रहेगी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था – ''जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश व समाज को पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।'' नेहरूजी के इसी मंत्र को केंद्र सरकार ने अपनाया। केंद्र सरकार की चिंता का केंद्र बिंदु खेत और खेतिहर ही रहे। इस चिंता का निराकरण करने के लिए ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई और इसका असर भी अब दिखने लगा है। किसान क्रेडिट कार्ड ने गांवों में रह रहे लोगों की ऋण समस्या को खत्म कर दिया है। इसके जरिए किसानों को समय पर पैसा उपलब्ध हो रहा है और वे सूदखेरों के जाल से बच गए हैं जिससे उनका जीवन–स्तर भी ऊंचा हो रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की संयुक्त पहल पर तैयार की गई। इसे वर्ष 1998 में लागू किया गया। मार्च 2010 तक देश में कुल 9 करोड़ 36 लाख 73 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। इस संदर्भ में दिसंबर 2010 की रिपोर्ट में करीब 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शायी गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके जरिए करोडों लोग फिर से खेती से जुड़ गए हैं।

रिजर्व बैंक और नाबार्ड की एक पहल

आज हर किसान के हाथ में जो कार्ड है और जिसके दम से देश में खुशहाली आई है, उसकी पहल भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने संयुक्त रूप से की थी। इसे वर्ष 1998–99 में लागू किया गया। इसके जरिए किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस योजना के जरिए किसान सरल प्रक्रिया के तहत आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को फसलों के लिए अलग–अलग आवेदन करने की प्रक्रिया के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। अब एक बार जोतबही के आधार पर तैयार किए गए कार्ड से वे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। नजदीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ की भी जरूरत नहीं है। वे अपने इलाके में स्थित बैंक में जाए और आवेदन कर दें। किसानों को पासबुक दी जाती है। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाता है, जो पहचान–पत्र का भी काम करता है। खाते का उपयोग करते समय किसान को अपना कार्ड–सह–पासबुक दिखानी होती है। इस योजना में ऋण सीमा के अनुरूप जो किसान 50 हजार तक ऋण लेते हैं उन्हें मार्जिन मनी नहीं दी जाती है, लेकिन जो किसान 50 हजार से अधिक ऋण लेते हैं उन्हें 15 से 25 फीसदी तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किसान खरीफ एवं रबी सीजन में 50 हजार तक का ऋण ले सकते हैं।[3]

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ

- सरल वितरण प्रक्रिया।
- नकद आपूर्ति के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया।
- प्रत्येक फसल हेतु ऋण के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं।

- किसानों के लिए किसी भी समय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना व किसानों के लिए ब्याज के बोझ को घटाना।
- किसानों की सुविधा और विकल्प के अनुसार खाद और उर्वरक की खरीद करना।
- डीलर से नकद खरीद पर छूट।
- तीन वर्षों तक ऋण सुविधा यानी हर मौसम में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं।
- कृषि आय के आधार पर अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाना।
- ऋण सीमा के भीतर कई बार राशि का निकालना संभव।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सामान्य ऋण नीति

व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी ऋण नीतियां इस प्रकार नहीं बनायी गई थी जिससे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना आवश्यक थी। इनकी ऋण नीतियां एवं ऋण योजनाएं निम्न हैं –

- लघु एवं सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को ऋण–वर्तमान में इन बैंकों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों व कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान किया जाता है। लघु कृषक में वे सभी कृषक आते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि या 25 एकड़ से 5 एकड़ तक असिंचित भूमि हो और सीमांत कृषक में सभी कृषक आते हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम या 2.5 एकड़ असिंचित भूमि हो। कृषि श्रमिकों में सभी भूमिहीन मजदूर आते हैं जिनकी कुल वार्षिक आय में कृषि संबंधी स्रोतों से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत से अधिक हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीणों को ऋण–यह बैंक अपनी समस्त ऋण योजनाओं में इस वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधां प्रदान करता है साथ ही सब्सिडी भी देता है।
- ग्रामीण कारीगरों एवं लघु व्यवासायी को ऋण–ग्रामीण कारीगरों के अंतर्गत बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, बसौड़ दर्जी, लुहार, सुनार एवं समकक्ष कार्य करने वाले व्यक्ति आते हैं। और ग्रामीण व्यवसायियों में फरीवाले, किराना, कपड़ा, अनाज, सब्जी, फल आदि के व्यवसायी आते हैं। भारत सरकार द्वारा इस बैंक के माध्यम से बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है।

बैंकों की विविध ऋण योजनाएं

भारत सरकार के माध्यम से इन बैंकों द्वारा ग्रामीणों को अत्यधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है।

प्रत्यक्ष कृषि ऋण–इसके अंतर्गत लघु, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान किए जाते हैं जो निम्न हैं।

- कृषि संबंधी ऋण
- फसल ऋण
- पान बाड़ी हेतु ऋण
- अंगराबाड़ी हेतु ऋण
- लघु सिंचाई योजना संबंधी ऋण
- भूमि सुधार हेतु ऋण
- बैल क्रय करने हेतु ऋण

- गोबर गैस प्लांट लगाने हेतु ऋण
- पशुपालन संबंधी ऋण
- दुग्ध विकास हेतु पशु क्रय करने की योजना
- बकरी पालन हेतु वित्तीय योजना
- सुअर पालन हेतु वित्तीय सहायता
- कुक्कुट पालन हेतु ऋण योजना
- ग्रामीण कारीगरों को ऋण
- ग्रामीण क्षेत्रों के चर्मशोधकों व चर्मकारों हेतु वित्तीय सहायता
- बांस की टोकरी बनाने के लिए ऋण योजना
- दर्जियों को सिलाई मशीन हेतु वित्तीय सहायता
- ग्रामीण लघु व्यवसायियों को ऋण सहायता
- नौका क्रय हेतु नाविकों को ऋण
- होटल / पान दुकान हेतु ऋण
- हाथ ठोला या रिक्शा क्रय हेतु ऋण
- सब्जी के व्यवसाय हेतु ऋण
- कपड़े के व्यवसाय हेतु ऋण
- उचित मूल्य के अनाज व किराना दुकान हेतु ऋण
- आटा चक्की व्यवसाय हेतु ऋण
- फलों के बगीचे हेतु ऋण
- शासकीय सस्ते अनाज की दुकान हेतु ऋण
- उपभोग ऋण
- जमाराशियों एवं आभूषणों पर ऋण
- वाहन क्रय हेतु ऋण
- ग्रामीण खाद व्यापार योजना
- ग्राम गोद लेने की योजना
- वेयरहाउस रसीद पर ऋण
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

ग्रामीण विकास में संस्थागत ऋणों की भूमिका

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की भूमिका सर्वाधिक है। 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषि व क्रियाओं से ही अपनी आजीविका प्राप्त करती है। अतः कृषि का विकास करके ही ग्रामीण विकास को मूर्ति रूप प्रदान करना संभव है। इस तथ्य को देखते हुए सहकारी समितियों के द्वारा कृषि विकास करके कृषकों के जीवन–स्तर में सुधार लाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। फसल ऋण योजना के क्रियान्वयन, लघु कृषकों को ऋण में प्राथमिकता तथा किसानों में बचत–प्रवृत्ति को विकसित करने हेतु सहकारी समितियों ने विशेष कदम

उठाए। इन सबके बावजूद भी सहकारी समितियां किसानों की वित्त संबंधी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरी करने में आंशिक सफल हुई हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्र स्वतंत्रता के समय बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों की सुविधाओं से वंचित थे। वित्त व्यवस्था का प्रावधान नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता व आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित होने के साथ ही देश में ग्रामीण ऋण व्यवस्था का दायित्व सहकारी संस्थाओं को सौंपा गया था। भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ ही देश में सहकारी साख समितिय का त्रिस्तरीय स्तूपाकार ढांचा तैयार किया गया। ग्राम स्तर पर प्राथमिक साख समितियां है जो मुख्य रूप से एक वर्ष के लिए उत्पादन कार्यों हेतु ऋण प्रदान करती है, जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (केंद्रीय बैंक) तथा राज्य स्तर पर शीर्षस्थ बैंक है। लेकिन इसके बावजूद भी रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1936–37 में कराए गए अध्ययनों से यह सच्चाई सामने आई कि कृषि ऋणों में सहकारी समितियों की भूमिका नगण्य थी तथा अधिकांश किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महाजनों व साहूकारों पर निर्भरता बनी हुई थी। वर्ष 1951 में भी कुल कृषि ऋणों में सहकारी क्षेत्र का योगदान महज 3.3 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक बैंकों का 09 प्रतिशत दर्ज किया गया।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए रिजर्व बैंक ने सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत व सशक्त बनाने हेतु अनेक कदम उठाए जिनकी वजह से वर्तमान में सहकारी संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देश में सहकारी साख समितियों का विकास मूल रूप से समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने व मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त करवाने हेतु किया गया है।

निष्कर्ष :

कृषि क्षेत्र के विकास व व्यावसायीकरण में बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संकटों से निपटने, कृषि भूमि–सुधार, कृषि यंत्रों की खरीद, बीज, उर्वरक आदि के क्रय हेतु ऋणों की सहज व समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बैंक व सहकारी संस्थाएं ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयासरत हैं। यही नहीं फव्वारा सिंचाई पद्धति व लघु सिंचाई व्यवस्थाओं हेतु ऋण का प्रावधान करके बैंकिंग संस्थाएं कृषि में जोखिम कम करने के लिए कोशिश कर रही हैं। लघु सिंचाई व्यवस्था, फार्म पौण्ड तथा वाटरशेड के माध्यम से कृषि में उत्पादकता बढ़ने से किसानों के आय व जीवन–स्तर में अपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर हो रहे है।

इन सब सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण गरीबों तक 'बैंकिंग पहुँच' सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट किया है कि देश में 40 प्रतिशत से अधिक लोगों के बैंक में खाते भी नहीं है। इसी प्रकार से, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने 59 के दौर में इस निराशाजनक परिदृश्य की ओर संकेत किया है कि कृषक परिवारों के कुल 27 प्रतिशत को ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त होता है और लगभग 22 प्रतिशत ऋणों हेतु अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। शेष 51 प्रतिशत, जिनमें से अधिकांश सीमांत कृषक है, के पास ऋण प्राप्त करने का कोई स्रोत नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व कमजोर लोगों को बैंकों से जोड़ने तथा ऋण प्रदान करने के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाए। सहकारी बैंकों की पूंजीगत संरचना को मजबूत बनाकर, ऋण सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करके, ऋण प्रदाता विविध एजेंसियों व बैंकों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना संभव है। ऐसा करके ही देश को गरीबी व बेरोजगारी के दंशों से विमुक्त करके 'समावेशी विकास' की अवधारणा को वास्तविक अर्थों में प्राप्त करना संभव है।[7] सर्वविदित तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के माध्यम से ही देश के संतुलित विकास व न्यायपूर्ण वितरण की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाना संभव है तथा तभी देश औद्योगिक राष्ट्रों की कतार में पंक्तिबद्ध हो पाएगा।

संदर्भ स्रोत :–

1. रिर्पोट ऑन एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया, 2009–10, भारतीय रिजर्व बैंक, पृ0 43
2. रिर्पोट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस बैंकिंग इन इंडिया, 2009–10, भारतीय रिजर्व बैंक, पृ0 56
3. वार्षिक प्रतिवेदन 2007–08, बिहार सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, पृ0 41
4. नरेगा, बिहार सरकार द्वारा ज्ञापित कार्य योजना 2008–09, पृ0–63
5. भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास नई दिल्ली, पृ0 64
6. उत्पल कान्त, ''बिहार के स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, जून 2009, पृ0 – 12
7. भार्मा प्रेास नारायण, वोमैन इनवापरमैंन्ट विस्तार पब्लिकेशन, दिल्ली, 2006, पृ0 239–241
8. श्रीरमण वी0पी., माइक्रो फिनान्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप एण्ड वीमेन इम्पावरमेन्ट – करेन्ट इश्यू एण्ड कन्सर्न, सेग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, (2008), पृ0 21–22
9. क्रिसटाबेल, पी. जे., वीमेन्स इम्पावरमेन्ट थ्रो कैपेसिटी बिल्डिंग : माइक्रो फिनान्स, कन्सेप्ट पब्लिकेशन, नई दिल्ली (2009), पृ0 145–149
10. महजंबीन, रूबाना, मईक्रोफाइनंसिग ईन बंग्लादेश : इमपकेट ऑन हाउसहोल्ड, कनजंम्पसन एंड वेलफेयर कौपरिरईट सोसाईटी फॉर पोलिसी मोडेलिग पब्लिस्ड बाई इलसेवियर लिंक(2007) पृ0 11–12।